तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2005/2013/भरतपुर सरकार बनाम समयसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

`

उपस्थित :–

श्री खुर्शीद अनवर, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।

श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 29.6.2022

हस्तगत रेफरेंस धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 26–12–2000 से राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, नदबई ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2013 में ग्राम कोठेनखुर्द तहसील नदबई की साबिक आराजी खसरा नं0 91 रकबा 2 बीघा 26 बिस्वा, 138 रकबा 19 बिस्वा, 161 रकबा 16 बिस्वा, 242 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा मकबूजा मालकान किस्म कदीम, पोखर, चाह दर्ज थी। तत्पश्चात् सहायक कलेक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3–5–1985 से उक्त खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर 113 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 166 रकबा 9 बिस्वा, 193 रकबा 10 बिस्वा, 280 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का अप्रार्थी को खातेदार घोषित कर दिया । उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 20–5–1989 स्वीकृत किया गया । उक्त भूमि कदीम/पोखर की भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में आने के कारण इस प्रकार की भूमि पर निजी व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं किए जा सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2–8–2004 की अनुपालना में उक्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 15–8–1947 की स्थिति रेकार्ड अनुसार बहाल की जानी है। अतः उक्त भूमि पुनः सरकारी भूमि दर्ज कर नदी, नालों एवं जलाशयों का प्राकृतिक स्वरूप बहाल रखा जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26–12–2000 द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2005/2013/भरतपुर सरकार बनाम समयसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। 3— विद्वान योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि । अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है । विवादित आराजी पहले मकबूजा मालकान के खाते में थी, जो खुदकाश्त न होने के कारण जमाबन्दी संवत 2017 में सिवाय चक दर्ज रिकार्ड हो गई। इस सिवाय चक भूमि पर सहायक कलेक्टर द्वारा गलत रूप से डिक्री पारित की गई जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 58 स्वीकृत किया गया है । यह राजकीय भूमि है जिस पर गलत रूप से डिक्री पारित की गई है । अतः रेफरेन्स स्वीकार कर भूमि को पुनः सिवाय चक राजकीय दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए जावें। 4— अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि विवादित खसरा नंबर पर अप्रार्थी संवत 2012 से निरंतर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है ।राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवाय चक गलत दर्ज कर दी गई है। सहायक कलेक्टर द्वारा विधिसम्मत डिक्री पारित की गई है, जिसे रेफरेन्स के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे । 5— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतौनी बंदोबस्त संवत 2013 में ग्राम कोठेनखुर्द तहसील नदबई की साबिक आराजी खसरा नं0 91 रकबा 2 बीघा 26 बिस्वा, 138 रकबा 19 बिस्वा, 161 रकबा 16 बिस्वा, 242 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा मकबूजा मालकान किस्म कदीम, पोखर, चाह दर्ज थी । सहायक कलेक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 3—5—1985 से उक्त खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर 113 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 166 रकबा 9 बिस्वा, 193 रकबा 10 बिस्वा, 280 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा का अप्रार्थी को खातेदार घोषित कर दिया । उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 20—5—1989 स्वीकृत किया गया । उक्त भूमि कदीम/पोखर की भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी में आने के कारण इस प्रकार की भूमि पर निजी व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं किए जा सकते है। जो बाद में मिलकियत सरकार दर्ज हुई तथा ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (ii) के तहत्	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2005/2013/भरतपुर सरकार बनाम समयसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित है तथा किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/ खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 1955 की धारा 16 की उपधारा उपधारा (ii) निम्न प्रकार है –

16 **Land on which khatedari rights shall not accrue – Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accure in-**

(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank.

उक्त प्रावधानों के विपरीत गैर मुमकिन पोखर की भूमि बिला लगानी दर्ज कर जरिए आवंटन/नियमन अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, वह विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित रिट याचिका संख्याः 1536/03 उनवान 'अब्दुल रहमान बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 में प्रतिपादित व्यवस्थाओं के विपरीत है।

चूँकि यह युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजियात भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में है ।

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि नदी/नाला/तालाब की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार नाला नदी, तालाब की भूमि न तो आवंटन योग्य है और न ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है । इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी श्री अब्दुल रहमान बनाम राज्य शासन निर्णय दिनांक 2/8/2004 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया हैः–

> **All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.**
> **----In the Government owned lakes and other**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2005/2013/भरतपुर सरकार बनाम समयसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the Government. " यह न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के प्रकाश में इस रेफरेंस प्रकरण का निर्णय करना उचित समझता है। इस प्रकरण में भी प्रश्नगत भूमि की किस्म पोखर थी तथा विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत भूमि को अप्रार्थी को आवंटन करते हुए खातेदारी में दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रभाव से ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इस प्रकार अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राजों की समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रभावी है। उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा कब्जे के आधार पर अप्रार्थी को खातेदार घोषित कर विधि विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है एवं ऐसी अवैध निर्णय एवं डिक्री को रेफरेन्स के माध्यम से कभी भी निरस्त किया जा सकता है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं । इसी प्रकार आर.बी.जे. 2017 एचसी पृष्ठ 625 उनवानी श्रेया बनाम ग्रामपंचायत पर यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार (1994) 6 SCC 591 Thakur Kishan Singh (Dead) v/s Arvind Kumar, (2004) 10 SCC 779 Dr. Mahesh Chand Sharma v/s Raj Kumari Sharma, (1964) 6 SCR 780 S.M. Karim v/s Bibi Sakinal, (1993) 4 SCC 375Parsinni v/s Sukhi, AIR 1997 SC 2930 D.N. Venkatarayappa v/s State of Karnataka, (2014) SCC 669 Gurdwara Sahib v/s Gram Panchayat Sirthala में भी यही अभिमत प्रतिपादित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी मकबूजा मालकान दर्ज थी जो जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के प्रभाव में आने के कारण जमींदारी समाप्त हो जाने से भूमि सिवाय चक दर्ज की गई है। अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । सहायक कलेक्टर द्वारा विधि विरूद्ध डिक्री पारित की गई है । विवादित भूमि पोखर की है एवं सिवाय चक है । इस संबंध में ऐसी विधि विरूद्ध डिक्री को निरस्त किए जाने के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2005/2013/भरतपुर सरकार बनाम समयसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संबंध में रेफरेन्स के लिए कोई मियाद भी निर्धारित नहीं है । अतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य है । 7—उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में यह रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा कोठेनखुर्द तहसील नदबई में स्थित हाल खसरा नंबर 113 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 166 रकबा 9 बिस्वा, 193 रकबा 10 बिस्वा, 280 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के संबंध में सहायक कलेक्टर, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3—5—1985 एवं उसकी पालना में स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 20—5—1989 निरस्त किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप खोले गये समस्त नामान्तरकरण निरस्त किये जाते हैं। विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में पुनः सिवायचक भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर/कदीम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/2005/2013/भरतपुर सरकार बनाम समयसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए